

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या
(प्राप्त की तारीख के साथ नोटल अधिकांसी द्वारा भरा जाएगा)
भाग -II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या FP/CG/OFC/87496//2020

01. परियोजना / स्कीम का स्थान :-

! राज्य/संघ शासित क्षेत्र

!! जिला

!!! वन प्रभाग

iv वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)

परिक्षेत्र	कक्ष क्र./ खसरा	रकबा (हे.मै)
कांकर	आरक्षित वन	0.502
नरहरपुर	संरक्षित वन	0.242
घारामा	नारंगी वन	1.016
सरोना	राजस्व वन	0.359
कोर		
Total:-		2.119

:- छत्तीसगढ़
 :- उत्तर बस्तर कांकर (छ.ग.)
 :- वनमंडल कांकर

- v वन की कानूनी स्थिति
- vi हरियाली का धनत्व
- vii प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना
- (संलग्न की जाए) सिंवाई/ जलीय परियोजनाओं के संबंध में F.R.L. F. R.L.-2 मीटर पर परिगणना और F.R.L.-4 मीटर भी संलग्न की जाए)
- viii भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
- xi वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।
- x क्या प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हरणी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वाइडन की टिप्पणीयाँ अनुबंधित की जायें)
- xi क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजाल की वृद्धि/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।
- xii क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारंपरिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा संक्षिप्त प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।
- 08 प्रयोज्यता एवं सीमा-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संयुक्त क्षेत्र क्या है।

कोषाध्यक्ष, नमो भगवते वासुदेवाय

(भा.व.सं.)

आलोक बाजपेई

दिनांक :- 21/04/2023

व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनभूमि की स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध होगी। इस हेतु जंगलों में पारस्परिक संवाद, सुविधा एवं आपात पदस्थ सैनिक एवं अद्वैत सैनिक बलों तथा पुलिस के विकास भी होगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्रों में के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का संपूर्ण मॉनिटरिंग, शिक्षा, वित्तिकार्य तथा योजनाएं सुदृढीकरण से एल डब्ल्यू.ई. क्षेत्रों में इंटेलिजेंस मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी का विस्तार एवं

- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव लेने के संबंध में उप वन संरक्षण की विशेष सिफारिश
- ख वनेतर भूमि पर
- क वन भूमि पर
- v तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति -
- ख वनेतर भूमि पर
- क दंड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- iv 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण -
- !!! मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र
- !! जिले का वन क्षेत्र
- ! जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल
- 12 विभाग/जिला प्रकाशित :-
- 11 जिला वन संरक्षण की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (xi,xii) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)
- v द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए
- iv प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिचय।
- !!! शीघ्र की जाने वाली प्रगतिविधियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण
- !! आस-पास की वन सीमाओं की दर्शाती मानचित्र।
- ! प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिलेखित वनेतर/अव्यक्त वन क्षेत्र और आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खंडों की संख्या, प्रत्येक भू-खंड का आकार
- 10 प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -
- 09 क्या अभिनियम उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

निरंक।

आरक्षित/संरक्षित/नारंगी/राजस्व वनभूमि।

निरंक।

निरंक।

निरंक।

निरंक।

569 है, वन भूमि वनेतर प्रयोग में लाया गया है।

वन भंडन अन्तर्गत 1980 से अब तक कुल 12 प्रकरणों में 126.

जिले का कुल वन क्षेत्रफल 3686.685 वर्ग कि.मी. है।

कांकर जिले का भौगोलिक क्षेत्र 7247.959 वर्ग कि.मी. है।

निरंक।

निरंक।

510 लाख रुपये।

निरंक।

निरंक।

निरंक।

निरंक।